न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

रामकरण सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0–25/2023
प्रविष्टि दिनांक 22.08.2023

1. रतन देवी पत्नी, फूलचन्द जाति खटीक उम्र 53 वर्ष निवासी खटीको का मोहल्ला झिलाय तहसील निवाई जिला टॉक राज.

अपीलार्थी

बनाम

1. तहसीलदार महोदय निवाई जिला टोंक राज.
2. सरपंच ग्राम पंचायत नोहटा तहसील निवाई जिला टोंक राज.

रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित :– श्री सीताराम शर्मा, अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री बनवारी लाल यादव, रेस्पोंडेण्ट सं0 2 की ओर से।
पेरोकार सरकार, रेस्पोडेण्ट सं0 1 की ओर से।

अपील विरूद्ध आदेश नामांतकरण संख्या 1143 निर्णय
दिनांक 8.2.2016 ग्राम पंचायत नोहटा

यह कि अपील के सार रूप से तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 515/5 रकबा 1.0117 हैक्टेयर वाके ग्राम करीरिया में नानगराम–जगदीश कजोड–हजारी पि. कंवरीलाल, सोनी– कल्याणी–बदाम पुत्रीयां कंवरीलाल जाति बैरवा निवासी करीरिया के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि थी जिसको अपीलान्ट ने दिनांक 6.1.2016 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अदा करके कब्जा मालिकाना काबिजाना अपीलान्ट ने सम्भाल दिया और उक्त जमीन खातेदारी की मालिक मुताबिक विकय विलेख अपीलान्ट हो गई और उक्त सम्पत्ति को अपीलान्ट मय परिवारजन शारीरिक एवं मानसिक रूप से धारित किये हुये है। यह कि उक्त विक्रय वलेख का नामांतकरण पटवारी हल्का ने दिनांक 3.2.2016 को भरकर के आई.एल.आर के समक्ष पेश किया जिन्होने ने भी मिलान किया व अंकन सही है कि रिपोर्ट होने पर ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 8.2.2016 को नामांतकरण पेश किया गया और अन्ततः ग्राम पंचायत नोहटा ने कतई गलत रूप से विधि विधान के विपरीत जाकर नामांतकरण खारिज किया है जिससे पीडित होकर प्रार्थी हस्तगत अपील पेश कर रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.2.2016 विधि विरूद्ध होने से निर्णय निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत को विक्रय विलेख को इस नोट के साथ खारिज करने का कोई अधिकार नहीं है कि केता व विक्रेता का कब्जा नही है इसलियें नामांतकरण अस्वीकार किया जाता है। इसलियें ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया विरूद्ध निर्णय खारिज योग्य है। अतः हस्तगत अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट न्यायहित में उक्तानुसार स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जावे कि वह मुताबिक विक्रय पत्र अपीलान्ट के नाम नामांतकरण भरकर राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का बतौर खातेदारी अंकित किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है।

अपीलांट की ओर से पेश अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को तलब किया गया। रेस्पोंडेंट सं0 1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। रेस्पोंडेंट सं0 2 की ओर से अधिवक्ता बनवारी लाल यादव मय वकालतनामा उपस्थित होकर जवाब अपील पेश किया गया। पेरोकार सरकार ने जवाब पेश न कर सीधे बहस करने का अनुरोध किया। पेरोकार सरकार ने वाद वर्णित भूमि के संबंध में विकय पत्र पंजीबद्ध होना बताया जाकर अपील स्वीकार करने में सहमति प्रदान की। रेस्पोंडेंट सं0 2 ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभंयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि ख0नं0 515/5 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम करिरिया का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रतन देवी के नाम हुआ है। जिसका नामांतकरण ग्राम पंचायत नोहटा द्वारा नामांतकरण सं0 1143 दिनांक 08.02.2016 द्वारा विकेता का कब्जा नहीं होने के कारण अस्वीकार किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

जबकि विक्रय पत्र में विक्रेता द्वारा क्रेता को कब्जा सम्भला दिया जाना स्पष्ट अंकित है, जिसके संबंध में तहसीलदार निवाई की ओर से उपस्थित पेरोकार सरकार ने भी क्रेता का कब्जा सम्भाल लिये जाने की पुष्टि की है। ऐसे में अपील अपीलांट विरूद्ध नामांतकरण सं0 1143 दिनांक 08.02.2016 ग्राम पंचायत नोहटा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट विरूद्ध नामांतकरण सं0 1143 दिनांक 08.02.2016 ग्राम पंचायत नोहटा स्वीकार किया जाकर नामांतकरण सं0 1143 दिनांक 08.02.2016 ग्राम पंचायत नोहटा खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार निवाई को रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि विधिवत सुनवाई कर, नामान्तकरण तस्दीक करे।

निर्णय आज **दिनांक** 24/10/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)